## कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम,(पूर्वी) रामनगर।

ई-मेल- dlmramnagar1@gmail.com

पत्रांक- 653 /विज्ञप्ति/ दिनांक- 03/07/23

सेवा में,

Whats App/E-Mail द्वारा हीं

अनुष्का एडवरटाइजर्स,
वालिया कॉम्पलैक्स,
नियर-सांई हास्पिटल,
मुखानी चौराह, हल्द्वानी मो0/व्हाटसएप- 9759000054 ।

विषयः- विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निम्न विज्ञप्ति/सूचना को डी0ए0बी0पी0 शासकीय दरों पर छूट के साथ 8 X 4 से0मी0 में दिनांक-04-07-2023 को प्रकाशित होने वाले दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान, कुमाऊँ संस्करण के समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा प्रकाशन के उपरान्त भुगतान हेतु बिल में जी0एस0टी0 नं0-05AAALU0009MOZG अवश्य अंकित करते हुये दो प्रतियों में संलग्नकों सहित इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
पूर्वी रामनगर ।

---

### निष्प्रयोज्य विभागीय वाहन बोलेरो सं0-UK07U/7003 के विक्रय हेतु निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी रामनगर लौगिंग प्रभाग, आमडण्डा प्रथम डिपो परिसर, रामनगर के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य बोलेरो वाहन सं0-UK07U/7003 प्रभागीय कार्यालय परिसर में खडी है, के विक्रय हेतु निविदायें जहां है जैसा है के आधार पर दिनांक-17-07-2023 के सांय 5:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर से आमंत्रित की जाती है जो दिनांक-18-07-2023 को अपरान्हः 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र उत्तराखण्ड वन विकास निगम की website- http://www.uafdc.in/tenders.html से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय कार्यालय से दिनांक-15-07-2023 तक प्राप्त कर सकते हैं। निविदा शुल्क हेतु जी0एस0टी0 सहित कुल धनराशि रू0- 590/- (पांच सौ नब्बे) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी रामनगर के पदनाम जारी हो निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा लिफाफे के ऊपर **बोलेरो वाहन सं0-UK07U/7003 क्रय हेतु निविदा** लिखा होना अनिवार्य है। निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में निविदाएं खोली जायेंगी।

(हस्ताक्षर)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
पूर्वी रामनगर ।

---

पत्रांकः- 653 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः- प्रबन्ध निदेशक, उ0 वन विकास निगम, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- समस्त महाप्रबन्धक, उ0 वन विकास निगम को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक(प0क्षे0), उ0 वन विकास निगम को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- समस्त प्रभागीय प्रबन्धक(प0क्षे0/कु0क्षे0), उत्तराखण्ड वन विकास निगम को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वृहद प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 सैल, उ0 वन विकास निगम, देहरादून को उपरोक्तानुसार इस आशय से प्रेषित कि कृपया निविदा फार्म, निविदा शर्तें व उक्त विज्ञापन विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः- लेखा/अधिष्ठान/स्टोर/लौगिंग शाखा, पूर्वी रामनगर।

प्रतिलिपिः- नोटिस बोर्ड, पूर्वी रामनगर।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
पूर्वी रामनगर ।

# कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी रामनगर।

## निविदा शर्तें

1. निविदा भेजने हेतु पता–कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी रामनगर, आमडण्डा डिपो परिसर रामनगर नैनीताल पिन–244715। निर्धारित समय एवं तिथि तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से निर्धारित फार्म में इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए, जो निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होनी आवश्यक है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा। दस्ती निविदा स्वीकार्य नही है। निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जानी है। लिफाफे के ऊपर **"बोलेरो सं0—UK07U/7003 क्रय हेतु निविदा"** लिखा होना आवश्यक है।

2. बोलेरा जहां है जैसी है के आधार पर विक्रय की जानी है, वाहन प्रभागीय कार्यालय के प्रांगण में खड़ा हैं। अतः निविदादाता द्वारा वाहन का भली–भांति निरीक्षण कर लिया जाय, तदपरान्त ही निविदा प्रस्तुत की जाय। निविदा जमा करने के उपरान्त कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

3. बोलेरा हेतु दी गई गयी निविदा के साथ नेक जमानत हेतु रू0–10000.00 (दस हजार रू0 मात्र) की किसी राष्ट्रीकृत बैंक की एफ0डी0आर0 जो प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी रामनगर के पदनाम बन्धक हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।बिना जमानत के निविदा अस्वीकार्य है।

4. निविदा निर्धारित फार्म में प्रस्तुत की जानी है। निविदा मूल्य अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित किया जाय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 निविदा मूल्य के अतिरिक्त देय होगी। अस्पष्ट लिखावट/ओवर राईटिंग मान्य नही है।

5. निविदा के साथ निविदादाता का वैद्य पहचान पत्र (आधार) एवं पैन कार्ड की छायप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक है।

6. उच्चतम निविदा का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा इस कार्यालय से निविदा स्वीकृत /अनुमोदन जारी होने के 15 दिन के भीतर सम्पूर्ण धनराशि जमा कर वर्णित वाहन को प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

7. सामान्यतः निविदा, अधिकतम निविदा के आधार पर स्वीकार की जायेंगी किन्तु बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पास सुरक्षित है।

8. अधिकतम मूल्य वाली निविदा के निविदादाता को निविदा खुलने के उपरान्त 48 घण्टे के भीतर वाहन के मूल्य की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी तभी आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। जमानत धनराशि के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

9.निविदा का समस्त भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही जमा करना अनिवार्य होगा।

10. निविदा स्वीकार्य होने पर पंजीकृत डाक से सफल निविदादाता को सूचित किया जायेगा। सूचना जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर निविदादाता द्वारा समस्त मूल्य एवं देय कर का भुगतान कर उक्त वाहन की डिलीवरी ली जानी अनिवार्य है। अन्यथा की स्थित में निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा निविदादाता की जमानत राशि जब्त करते हुए कार्यावाही की जायेगी।

11. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं निविदा में उचित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

12.सफल निविदादाता द्वारा उक्त वाहन को अपने स्वामित्व/पंजीयन पर लेने बावत् सम्बन्धित सम्भाागीय परिवहन अधिकारी के यहां से प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

13. उच्चतम निविदादाता के द्वारा दी गयी जमानत धनराशि की वापसी वर्णित वाहन का मूल्य एवं सरकार द्वारा तदनुसार निर्धारित दरों पर प्रचलित जी0एस0टी0 सहित सभी देय करों का भुगतान जमा करने के पश्चात् वापस की जायेगी तदोपरान्त निविदा में क्रय वाहन संस्तुति दी जायेगा।

14. निविदा शर्तो का पालन न करने की दशा में सफल निविदादाता की जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

15. वाहन से सम्बन्धित किसी प्रकार का टैक्स अथवा बीमा देय है तो देनदार क्रेता होगा ।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय प्रबन्धक(प0क्षे0)उत्तराखण्ड वन विकास निगम रामनगर अर्बिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।

17. न्यायालय विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र नैनीताल जनपद होगा।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
पूर्वी रामनगर।

प्रतिलिपिः– नाटिस बोर्ड पूर्वी रामनगर, लौगिंग प्रभाग।

प्रतिलिपिः– आई0टी0सैल उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की शर्ते व निविदा फार्म उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
पूर्वी रामनगर।

# उत्तराखण्ड वन विकास निगम
कार्यालय- प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, पूर्वी रामनगर
आमडण्डा डिपो परिसर रामनगर जिला-नैनीताल पिन-244715
मेल:- dlmramnagar1@gmail.com

## बोलेरो सं0— UK07U/7003 के क्रय हेतु निविदा फार्म

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (पूर्वी)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
रामनगर (नैनीताल)

निविदा फार्म शुल्क :— 590.00 (पांच सौ नब्बे मात्र )ड्राफ्ट द्वारा

निविदा फार्म संख्या:—

1.निविदादाता का नाम — ..................................................................................

2.पिता का नाम — ..................................................................................

3.पूरा पता (स्थाई पता )— ..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

4.पैन— ..................................................................................

5.मोबाईल नं0— ..................................................................................

6.दूरभाष नं0— ..................................................................................

7.नेक जमानत राशि हेतु बंधक राशि का विवरण—

एफ0डी0आर0 संख्या ..................................................................................

दिनांक— ..................................................................................

धनराशि(अंको में ) ..................................................................................

धनराशि(शब्दों में ) ..................................................................................

बैंक का नाम ..................................................................................

शाखा ..................................................................................

8.वाहन क्रय हेतु प्रस्तुत निविदा रू0 में (नोट—18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी)—

अंकों में रू0— ..................................................................................

शब्दों में रू0— ..................................................................................

मेरे /हमारे द्वारा उक्त वाहन के क्रय हेतु वाहन का भली—भांति मौके पर निरीक्षण कर लिया गया है। निविदा शर्ते भली—भांति पढ़ ली गयी है/समझ ली गयी है, जो मुझे मान्य है एंव हस्तांतरित है। उपरोक्तानुसार भरी निविदा प्रस्तुत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर ..................................................

निविदादाता का नाम ..................................................

निविदादाता का पूरा नाम ..................................................

संलग्नकों का विवरण:— एफ0डी0आर0आधार0, पैन कार्ड

पत्रांक इ0— प्रभागीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास
प्रतिलिपिः—

# कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी रामनगर।

## निविदा शर्ते

1. निविदा भेजने हेतु पता—कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी रामनगर, आमडण्डा डिपो परिसर रामनगर नैनीताल पिन—244715। निर्धारित समय एवं तिथि तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से निर्धारित फार्म में इस कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए, जो निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होनी आवश्यक है। विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा। दस्ती निविदा स्वीकार्य नही है। निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जानी है। लिफाफे के ऊपर **"बोलेरो सं0—UK07U/7003 क्रय हेतु निविदा"** लिखा होना आवश्यक है।

2. बोलेरा जहां है जैसी है के आधार पर विक्रय की जानी है, वाहन प्रभागीय कार्यालय के प्रांगण में खड़ा हैं। अतः निविदादाता द्वारा वाहन का भली—भांति निरीक्षण कर लिया जाय, तदपरान्त ही निविदा प्रस्तुत की जाय। निविदा जमा करने के उपरान्त कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

3. बोलेरा हेतु दी गई गयी निविदा के साथ नेक जमानत हेतु रू0—10000.00 (दस हजार रू0 मात्र) की किसी राष्ट्रीकृत बैंक की एफ0डी0आर0 जो प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी रामनगर के पदनाम बन्धक हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।बिना जमानत के निविदा अस्वीकार्य है।

4. निविदा निर्धारित फार्म में प्रस्तुत की जानी है। निविदा मूल्य अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित किया जाय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 निविदा मूल्य के अतिरिक्त देय होगी। अस्पष्ट लिखावट/ओवर राईटिंग मान्य नही है।

5. निविदा के साथ निविदादाता का वैद्य पहचान पत्र (आधार) एवं पैन कार्ड की छायप्रति स्वप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक है।

6. उच्चतम निविदा का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा इस कार्यालय से निविदा स्वीकृत /अनुमोदन जारी होने के 15 दिन के भीतर सम्पूर्ण धनराशि जमा कर वर्णित वाहन को प्राप्त करना आवश्यक होगा अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

7. सामान्यतः निविदा, अधिकतम निविदा के आधार पर स्वीकार की जायेंगी किन्तु बिना कारण बताये किसी निविदा को स्वीकार /अस्वीकार करने का अधिकार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पास सुरक्षित है।

8. अधिकतम मूल्य वाली निविदा के निविदादाता को निविदा खुलने के उपरान्त 48 घण्टे के भीतर वाहन के मूल्य की 10 प्रतिशत जमानत धनराशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी तभी आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। जमानत धनराशि के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

9.निविदा का समस्त भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही जमा करना अनिवार्य होगा।

10. निविदा स्वीकार्य होने पर पंजीकृत डाक से सफल निविदादाता को सूचित किया जायेगा। सूचना जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर निविदादाता द्वारा समस्त मूल्य एवं देय कर का भुगतान कर उक्त वाहन की डिलीवरी ली जानी अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा निविदादाता की जमानत राशि जब्त करते हुए कार्यावाही की जायेगी।

11. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं निविदा में उचित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

12.सफल निविदादाता द्वारा उक्त वाहन को अपने स्वामित्व/पंजीयन पर लेने बावत् सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी के यहां से प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

13. उच्चतम निविदादाता के द्वारा दी गयी जमानत धनराशि की वापसी वर्णित वाहन का मूल्य एवं सरकार द्वारा तद्नुसार निर्धारित दरों पर प्रचलित जी0एस0टी0 सहित सभी देय करों का भुगतान जमा करने के पश्चात् वापस की जायेगी तदोपरान्त निविदा में क्रय वाहन संस्तुति दी जायेगा।

14. निविदा शर्तो का पालन न करने की दशा में सफल निविदादाता की जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

15. वाहन से सम्बन्धित किसी प्रकार का टैक्स अथवा बीमा देय है तो देनदार क्रेता होगा ।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्रीय प्रबन्धक(प0क्षे0)उत्तराखण्ड वन विकास निगम रामनगर अर्बिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।

17. न्यायालय विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र नैनीताल जनपद होगा।

RSL

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
पूर्वी रामनगर।

प्रतिलिपिः— नाटिस बोर्ड पूर्वी रामनगर, लौगिंग प्रभाग।

प्रतिलिपिः— आई0टी0सैल उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की शर्ते व निविदा फार्म उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

RSL

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
पूर्वी रामनगर।